देवास विकास प्राधिकरण देवास

चामुण्डा कॉम्पलेक्स ए.बी. रोड, देवास मध्यप्रदेष

क्र. 1188 देवास, दिनांक 18.06.2021

''प्रारूप अठारह

[नियम 19(5) देखिए]

धारा 50 की उप–धारा(3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि तहसील देवास नगर के अन्तर्गत मिनी सुपर कोरिडोर, आवास मार्ग एवं उद्यान के प्रयोजन हेतु देवास विकास प्राधिकरण, देवास द्वारा प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.डी.एस. 06/2020 यथा इंदौर, देवास रोड टाटा चौराहा के ग्राम अमोना, बिन्जाना, वीराखेडी, मेढकीचक एवं नागूखेडी से होते हुए उज्जैन रोड तक तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेष नगर तथा ग्राम निवेष अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप–धारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाषित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप–नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :

1. देवास विकास प्राधिकरण, देवास, चामुण्डा कॉम्पलेक्स ए.बी. रोड, देवास मध्यप्रदेष
2. उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेष विभाग, देवास, जिला–देवास

तथा, प्राधिकरण की वेबसाईट www.ddadewas.org पर भी प्रकाषित।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेष राजपत्र में इस सूचना के प्रकाषन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जाएगा।

(विषालसिंह चौहान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
(देवास विकास प्राधिकरण, देवास)